



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 13.09.2026

- थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा छिनैती की घटना कारित करने वाले ₹25,000/- के पुरस्कार घोषित/वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।
- अभियुक्त के कब्जे से छीनी गयी गले की जंजीर के टुकड़े की बिक्री के शेष बचे ₹ 1700/- नगद बरामद ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना अकबरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 033/2026 धारा 309(6)/317(2)/3(5) बीएनएस व मु0अ0सं0 035/2026 धारा 109(2) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त शिवेन्द्र सिंह पाल उर्फ नितिन पाल पुत्र विजय सिंह पाल उर्फ बबलू पाल निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात हाल पता यू0पी0एस0आई0डी0सी0 नवीपुर जैनपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात की गिरफ्तारी न हो पाने के कारण पुलिस अधीक्षक महोदया, जनपद कानपुर देहात द्वारा अपराधी पर पुरस्कार की धनराशि 25,000/- रुपये घोषित की गयी थी। जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 12/13.09.2026 की रात्रि को मुखबिर खास की सूचना पर बाराजोड पुल के पास करीब 30 कदम की दूरी पर समय करीब 02.10 बजे मु0अ0सं0 033/2026 धारा 309(6)/317(2)/3(5) बीएनएस व मु0अ0सं0 035/2026 धारा 109(2) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित में वांछित 25,000/- रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी शिवेन्द्र सिंह पाल उर्फ नितिन पाल पुत्र विजय सिंह पाल उर्फ बबलू उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

शिवेन्द्र सिंह पाल उर्फ नितिन पाल पुत्र विजय सिंह पाल उर्फ बबलू पाल निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात, हाल पता यू0पी0एस0आई0डी0सी0 नवीपुर जैनपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष।

पूछताछ अभियुक्त- अभियुक्त द्वारा बताया कि मैंने व मेरे साथी 1. निखिल यादव पुत्र स्व० अशोक यादव निवासी डरवापुर पोस्ट डेरापुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात हाल पता यू०पी०एस०आई०डी०सी० नवीपुर, जैनपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात 2. धीरज गुर्जर पुत्र रामकिशोर गुर्जर निवासी ग्राम लोहारी थाना भितरवाह जनपद ग्वालियर हाल पता अमूल डेयरी के पास जैनपुर थाना अकबरपुर कानपुर देहात व 3. प्रदीप दीक्षित उर्फ दीपक दीक्षित पुत्र अनिल दीक्षित निवासी ग्राम खलगपुर पोस्ट रैपालपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात ने दिनांक 26.01.2026 को सुबह करीब 05.00 बजे यू०पी०एस०आई०डी०सी० नवीपुर जैनपुर में एक महिला के गले से जंजीर छीनी थी, जिसे हम चारों लोगों ने बराबर आपस में बांट लिया था। जिसे मैंने कुछ दिन पहले राह चलते एक व्यक्ति को 10,000/- रुपये में बेच दिया था, जिसमें से 1700/- रुपये बचे हैं जो आपको मेरे पास से मिले हैं। बाकी खर्च हो गये हैं।

बरामदगी-

1. जामा तलाशी से जंजीर की बिक्री के शेष बचे ₹1700/- नगद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 033/2026 धारा 309(6)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
2. मु०अ०सं० 035/2026 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व धारा 109(2) बीएनएस थाना अकबरपुर कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना अकबरपुर पुलिस टीम-

1. उ०नि० नरसिंह चौकी प्रभारी जैनपुर थाना अकबरपुर, कानपुर देहात
2. उ०नि० शोभित कटियार चौकी प्रभारी बारा थाना अकबरपुर, कानपुर देहात
3. का० 946 अनुराग बाजपेयी चौकी बारा थाना अकबरपुर, कानपुर देहात
4. का० 1306 अंकित शर्मा चौकी जैनपुर थाना अकबरपुर, कानपुर देहात
5. चालक हे०का० 317 महेन्द्र सिंह चौकी जैनपुर थाना अकबरपुर, कानपुर देहात।